न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 232/2025

सुभाष पुत्र किशनाराम, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोन्डेन्ट

–––

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार, गुढ़ागौड़जी दिनांक 27.06.2025 उनवानी सरकार बनाम सुभाष मुकदमा संख्या 96/2025 अन्तर्गत धारा 91(6) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–––

उपस्थित :–

1. श्री अरविन्द कुमार सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.08.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 27.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों सहित सेवामें पेश है कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 27.06.2025 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 27.06.2025 पारित किया है, इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 27.06.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखल किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया, उसका कोई विवरण अंकित नहीं है, उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह विधि विरुद्ध है, निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है। स्वीकृत रूप से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा उक्त धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी को आदेश पारित कर सकता था, जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता तो सक्षम सिविल न्यायालय के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरित जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 185 व 480/185 पर संवत 2080 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है क्योंकि अपीलार्थी विगत 4 साल से लकवाग्रस्त है तथा उठने बैठने की स्थिति में नहीं है, उक्तानुसार उसका उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, ना ही वह अतिक्रमण करने की मंशा रखता है तथा इस बाबत् शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2025 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है, अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिया गया है, स्वीकृत रूप से बिना जिरह के मौका रिपोर्ट अपठनीय है, उक्तानुसार अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को आलौच्य आदेश दिनांक 27.06.2025 बाबत् कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही उसे कोई नोटिस प्रकरण बाबत् प्राप्त हुआ था दिनांक 01.07.2025 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बेदखली तथा अपीलार्थी को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही बाबत् जानकारी देने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.04.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा नकल दिनांक 03.07.2025 को प्राप्त करके अन्दर मियाद यह अपील सेवामें पेश है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनांक 27.06.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व सबूत पर गौर किए बिना निर्णय दिनांक 27.06.2025 पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना न्यायिक विवेचना किए तथा अपना माईण्ड अप्लाई किये ही निर्णय दिनांक 27.06.2025 पारित किया है, इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 27.06.2025 स्पीकिंग ऑर्डर की तरीफ में नहीं आता है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश करने से पूर्ववर्ती आदेश द्वारा बेदखल किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व पूर्ववर्ती आदेश के जरिये अपीलार्थी को कब बेदखल किया गया, उसका कोई विवरण अंकित नहीं है, उक्तानुसार उक्त बेदखल के विवरण के बिना जो आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह विधि विरुद्ध है, निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है। स्वीकृत रूप से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जो नोटिस प्रेषित किया गया है वह धारा 91(6)(क) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है तथा उक्त धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु उक्त धारा के अन्तर्गत अगर प्रकरण प्रमाणित माना जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी को आदेश पारित कर सकता था, जिसमें बाद अनुसंधान अगर अपराध प्रमाणित माना जाता तो सक्षम सिविल न्यायालय के यहां चालान पेश किया जाता लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों से विपरित जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, वह प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत के निर्णय में अंकितानुसार भूमि खसरा नं0 185 व 480/185 पर संवत 2080 में अतिक्रमण करना जाहिर किया है क्योंकि अपीलार्थी विगत 4 साल से लकवाग्रस्त है तथा उठने बैठने की स्थिति में नहीं है, उक्तानुसार उसका उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, ना ही वह अतिक्रमण करने की मंशा रखता है तथा इस बाबत् शपथ पत्र भी माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2025 विधि विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत है, पटवारी हल्का ने पटवार घर में अपीलार्थी के विरोधी व्यक्तियों से मिलकर रिपोर्ट तैयार करके अपीलार्थी के विपरीत झूठी कहानी तैयार करके अधूरी रिपोर्ट पेश की है, अपीलार्थी को पटवारी से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया है, स्वीकृत रूप से बिना जिरह के मौका रिपोर्ट अपठनीय है, उक्तानुसार अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया निर्णय अवैध है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को आलौच्य आदेश दिनांक 27.06.2025 बाबत् कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही उसे कोई नोटिस प्रकरण बाबत् प्राप्त हुआ था दिनांक 01.07.2025 को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में बेदखली तथा अपीलार्थी को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही बाबत् जानकारी देने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.04.2025 को नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा नकल दिनांक 03.07.2025 को प्राप्त करके अन्दर मियाद यह अपील सेवामें पेश है। अतः अपील को स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 27.06.2025 उनवानी सरकार बनाम रामकुवार मुकदमा संख्या 108/2025 निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन नदी मे अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामिल अदालत मातहत मे उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट को पूर्व मे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल कर दिया गया था। प्रकरण मे अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान हुए है। अपीलान्ट ने गैर मुमकिन नदी भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 5.83 हैक्टर मे से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 666की भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने कथन किया कि उनके द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा रखा है तथा भविष्य में वे अतिक्रमण नहीं करेगें। इसी प्रकार के प्रकरण के संबंधित अन्य प्रकरण में नजीर प्रस्तुत हुई है जिसके अनुसार "भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 91–चारागाह भूमि पर अतिक्रमण–बेदखली, कारावास व शास्ति का आदेश–प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया और कारावास को अपास्त करने की प्रार्थना की–प्रार्थी ने अण्डरटेकिंग दी कि भविष्य में वह अतिक्रमण नहीं करेगा–निर्णित, मामले के तथ्यों को देखते हुये सिविल कारावास का आदेश सशर्त अपास्त किया।" जो प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके की पुनः जांच करे कि अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है या नहीं यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं